न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या 11/2016

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. जगदीश पुत्र गुरबचन सिंह जाति मजहबी सिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर।	1. रणजीत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति मजहबी सिख निवासी पुरानी चुंगी के पास वार्ड नम्बर 1 गुरूसर, श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. विद्या देवी पुत्री गुरबचन सिंह पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 15 ई ई ए तहसील पदमपुर। 3. श्रीचन्द पुत्र गुरबचन सिंह जाति महजबी सिख निवासी खरलां तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 08.12.2016

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी
2.श्री अशोक जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3

--निर्णय-- दिनांकः 20/05/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 32 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 26/59 के मुरब्बा नम्बर 41 के कुल 3.237 हेक्टैयर नहरी भूमि में से मुझ वादी के नाम 1.294 हेक्टैयर व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम 1.943 हेक्टैयर ब.हि.व. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त भूमि होने के कारण दोनो पक्षों द्वारा बहुत अर्सा पूर्व अपने-अपने हिस्सा व कब्जा मुताबिक पारिवारिक विभाजन कर दिया गया था और उसी अनुसार दोनों पक्ष अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। संयुक्त खाता की भूमि होने के कारण वादी को अपने हिस्सा की भूमि काश्त हेतु हिस्सा ठेका पर देने, बैंक ऋण प्राप्त करने, सरकारी अनुदान प्राप्त करने, पानी की बारी लगाने व रास्ता सम्बन्धी विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पडता है। वादी ने शेष खातेदारान यानि अपने भाई-बहनों को संयुक्त भूमि का विभाजन करवाकर अपने-अपने हिस्सा अनुसार अपने नाम किलावाईज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का बार-बार आग्रह किया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। वादी ने पुनः दिनांक 02.02.2016 को प्रतिवादीगण से मुलाकात कर संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत करने के अलावा वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वा[illegible] कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमा[illegible] 32 [illegible] की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 26/59 के [illegible] 41 की [illegible] 3.237 हेक्टैयर नहरी भूमि में से 1.294 हेक्टैयर भूमि का वादी के [illegible] किया जाकर अलग से लगान कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी व प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:54 IST
Reason: SelfAttested

की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार उक्त वादाधीन भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता गुरबचन सिंह के नाम दर्ज कागजात माल थी। कालान्तर में वादी एंव प्रतिवादीगण के पिता गुरबचन सिंह का देहान्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गुरबचन सिंह के वैध वारिसान होने के कारण हम पक्षकारान को उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हुई भूमि है, जिसमें गुरबचन सिंह के वैध वारिसान को उतराधिकार कानून के तहत प्रत्येक को बहिस्सा बराबर भूमि प्राप्त हुई थी। यानि गुरबचन सिंह के नाम दर्ज कुल 3.237 हेक्टैयर नहरी भूमि में प्रत्येक वारिस 1/4-1/4 हिस्सा भूमि अर्थात 0.809 हेक्टैयर भूमि का स्वामी हुआ। लेकिन वादी ने स्थानीय अधिकारियों से साज बाज होकर गलत तौर पर अपने नाम अपने हिस्सा से अधिक भूमि दर्ज करवा ली, जबकि वादी केवल 0.809 हेक्टैयर भूमि ही प्राप्त कर पाने का अधिकारी है। वादाधीन खाता में दर्ज भूमि का विरास्तन नामान्तरण त्रुटि पूर्ण हुआ है। इसलिए विभाजन से पूर्व उक्त खाता में हुए त्रुटिपूर्ण नामान्तरण को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा इन्द्राज आरम्भतः शून्य होने से यह प्रतिवादीगण के हितों पर निष्प्रभावी एंव शून्य है। जिसे प्रतिवादी शून्य घोषित कर राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। अत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि चक 32 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 26/59 के मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 3.237 हेक्टैयर नहरी भूमि के बाबत दर्ज नामान्तरण संख्या 370 दिनांक 15.01.2014 जिसकी रूह से वादी जगदीश के नाम 1.294 हेक्टैयर, प्रतिवादीगण रणजीत सिंह , विद्या देवी, श्रीचन्द के नाम 1.943 हेक्टैयर भूमि दर्ज की गई, को कलमजन कर चारों के नाम 3.237 हेक्टैयर नहरी बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक के नाम 0.809 हेक्टैयर भूमि दर्ज कर खाता तकसीम किये जाने की डिक्री पारित की जावे। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम की नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब काउन्टर क्लेम के अनुसार सही तथ्य इस प्रकार है कि गुरबचन सिंह के देहान्त के पश्चात उसके नाम दर्ज कुल 3.237 हेक्टैयर भूमि उसके पांच वारिसान रणजीत, जगदीश, श्रीचन्द, मलकीत कौर, व विद्या देवी के नाम प्रत्येक का 1/5 हिस्सा जरिये नामान्तरण संख्या 248 दर्ज हुआ। उसके पश्चात मलकीत कौर ने अपना 1/5 हिस्सा यानि 0.647 हेक्टैयर भूमि जरिये पंजीकृत दस्तावेज हकत्याग/दस्तबरदारी विलेख वादी जगदीश के पक्ष में दिनांक 08.11.2011 किया। उक्त दस्तबरदारी विलेख के आधार पर मलकीत कौर के हिस्सा की 1/5 हिस्सा भूमि यानि 0.647 हेक्टैयर भूमि मुझ वादी के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 324 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। इस प्रकार मुझ वादी का 1/5 हिस्सा 0.647 हेक्टैयर भूमि व मलकीत कौर का 1/5 हिस्सा 0.647 हेक्टैयर भूमि कुल1.294 हेक्टैयर नहरी भूमि वादी के नाम राजस्व अभिलेख में सही दुरूस्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय को गुमराह करने के आशय से, तथ्यों की भली-भांति जानकारी होने के बावजूद, निराधार रूप से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। जो भारी हर्जाने सहित खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

1. आया कि क्या वादी चक 32 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 26/59 के मुरब्बा नम्बर 41,45 की कुल 3.237 हेक्टैयर नहरी भूमि में से 1.294 हेक्टैयर भूमि का खाता विभाजन करवाकर वादी अपने नाम अलग से खाता कायम करवा पाने का अधिकारी है?
-जिम्मे वादी-

2. आया कि क्या उक्त वादगत भूमि में से 1/5 हिस्सा (0.647) भूमि ... पंजीकृत दस्तबरदारी से मलकीत कौर ने वादी जगदीश के पक्ष में दिनांक 08.11.2011 कर दी?
-जिम्मे वादी-

3. आया कि क्या प्रतिवादीगण उक्त वादगत भूमि के विरास्तन इन्तकाल संख्या 370 को निरस्त करवाकर कुल 3.237 हेक्टैयर भूमि में से 1/4 (0.809) हैक्टयर भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?
-जिम्मे प्रतिवादीगण-

4. अनुतोष।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 32 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 26/59 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-2 दस्तबरदारी मलकीत कौर बहक जगदीश दिनांक 08.11.2011 प्रमाणित प्रति स्वंय वादी जगदीश का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादी के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 26/59 के मुरब्बा नम्बर 41, 45 की कुल 3.237 हेक्टैयर भूमि में वादी जगदीश पुत्र गुरबचन सिंह के हिस्सा 1.294 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 26/59 के मुरब्बा नम्बर 41, 45 की कुल 3.237 हेक्टैयर भूमि में वादी के नाम दर्ज 1.294 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
जगदीश पुत्र गुरबचन सिंह जाति मजहबी सिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर(1.294 हेक्टैयर)	32 एफ	41	16/1	0.237 हेक्टैयर	नहरी	[illegible]
			17/1	[illegible] हेक्टैयर	नहरी	1.88
			18/1	[illegible] हेक्टैयर	[illegible]	[illegible]
			23/1	0.175 हेक्टैयर	[illegible]	1.33
			24	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
			25	0.252 हेक्टैयर	नहरी	2.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:54 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 20/05/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 में सुनाया गया।

अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर उपखण्ड श्री करणपुर सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:54 IST
Reason: SelfAttested